26-6-18

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 26 मई, 2018 ई० (ज्येष्ठ 5, 1940 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र; जन्म-मरण के आंकडे, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, जलालाबाद, शाहजहाँपुर

11 मई, 2018 ई०

सं० 199/न०पा०परि०ज०/2018-19--उ० प्र० नगरपालिका अधिनियम, 1916(2) की धारा 298 के अन्तर्गत जल सम्भरण नियमावली के आधार पर बनाई गयी उपविधि में वाटर सप्लाई ऐक्ट, 1975 की धारा 59 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 1840/9-2-97-57-(2)/97, दिनांक 06 दिसम्बर, 1997 एवं 1489/9-2-97-57-(2)/96, दिनांक 27 दिसम्बर, 1997 के अनुपालन में उपरोक्त प्रचलित नियमावली की धारा 9 में जल मूल्य की प्रभावी दरों को पुनरीक्षित किये जाने का निर्णय लिया गया है जिस पर आपत्तियाँ/सुझाव हेतु संशोधित उपविधि का प्रकाशन दैनिक समाचार-पत्र "तरूण मित्र", लखनऊ में दिनांक 25 मार्च, 2018 को करा कर सर्वसाधारण से आपत्तियाँ/सुझाव 30 दिवस के अन्दर आमंत्रित किये गये थे। किन्तु निर्धारित अवधि के अन्दर उपरोक्त संशोधित उपविधि के सम्बन्ध में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त न होने के फलस्वरूप पालिका बोर्ड की बैठक दिनांक 28 अप्रैल, 2018 को अन्य प्रस्ताव संख्या-1 के द्वारा उक्त उपविधि शासकीय गजट में प्रकाशित कर दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से प्रभावी करने का निर्णय सर्व सम्मति से लिया गया है। जो जल मूल्य द्वितीय संशोधन उपविधि, 2017 से परिभाषित होगी–

संशोधित उपविधि

क्र०सं०	प्रभावी दरें	पुनरीक्षित दरें
1	घरेलू प्रयोजन के लिये 1/2 इंच जल संयोजन पर रु० 35.00 मासिक स्वीकृत अधिशासी अधिकारी	घरेलू प्रयोजन के लिये 1/2 इंच जल संयोजन पर रु० 50.00 मासिक स्वीकृत अधिशासी अधिकारी।
2	गैर घरेलू प्रयोजनों के लिये 3/4 इंच जल संयोजन रु० 50.00 मासिक स्वीकृत अधिशासी अधिकारी	घरेलू प्रयोजनों के लिये 3/4 इंच जल संयोजन रु० 75.00 मासिक स्वीकृत अधिशासी अधिकारी।
3	छावनी बोर्ड, सैनिक संस्थान, रेलवे और बोर्ड की सीमा के बाहर अन्य भू-गृह आदि के लिये रु० 100.00 मासिक स्वीकृति अधिशासी अधिकारी	छावनी बोर्ड, सैनिक संस्थान, रेलवे और बोर्ड की सीमा के बाहर अन्य भू-गृह आदि के लिये रु० 100.00 मासिक स्वीकृति अधिशासी अधिकारी।

गुनेन्द्र बाबू गुप्ता,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्,
जलालाबाद, शाहजहाँपुर।

8-हि०ग०-5

सत्यापन

ज–वार्षिक मूल्य की गणना–

क्र0 सं0	कर का नाम	गणना	धनराशि	दिनांक	रसीद सं0/बुक नं0
1	वार्षिक मूल्य × भवनकर की दर 10 % / 100				
2	वार्षिक मूल्य × जलकर की दर 05 % / 100				
3	वार्षिक मूल्य × सीवरकर की दर 03 % / 100				
	कुल योग				

आवेदक के हस्ताक्षर वार्ड कर संग्रहकर्ता कर प्रभारी लिपिक अधिशासी अधिकारी

कु0 अमिता वरूण
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद्,
गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)।

झांसी, नगर निगम, झांसी

23 अप्रैल, 2018 ई0

सं0 103 पी0ए0/न0आ0/न0नि0/2018-19–झांसी, नगर निगम, झांसी की सीमान्तर्गत डेंगू एवं चिकनगुनिया, कालाजार एवं अन्य संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु उपविधियाँ नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 541 की उपधारा 19 एवं 31 के अन्तर्गत बनायी गयी है। नगर निगम अधिनियम की धारा 543 के अन्तर्गत उपविधियाँ दैनिक "अमर उजाला" एवं "हिन्दुस्तान" समाचार-पत्रों में दिनांक 27 सितम्बर, 2017 को प्रकाशित कर आपत्तियाँ आमंत्रित की गयी थी। उक्त के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि में कोई आपत्तियाँ प्राप्त नहीं हुई थीं। उपविधि मुद्रण का प्रारूप निम्नवत् है–

नगर निगम, झांसी मलेरिया, डेंगू, कालाजार एवं अन्य संक्रामक रोग से रोकथाम एवं नियन्त्रण उपविधियाँ, 2017

1–संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं विस्तार–

(1) यह उपविधियाँ नगर निगम, झांसी मलेरिया, डेंगू, कालाजार एवं अन्य संक्रामक रोग से रोकथाम एवं नियन्त्रण उपविधि कही जायेगी।

(2) यह नगर निगम, झांसी की सीमा में प्रवृत्त होगी।

(3) यह उपविधि नगर निगम क्षेत्र सीमा में शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2–परिभाषाएं–जब तक संदर्भ में अपेक्षित न हो इस उपविधि में–

(1) "नगर आयुक्त" का तात्पर्य नगर निगम के नगर आयुक्त से है, तथा

(2) "नगर स्वास्थ्य अधिकारी" से तात्पर्य नगर निगम, झांसी के नगर स्वास्थ्य अधिकारी से है, तथा

(3) "संक्रमित क्षेत्र" का तात्पर्य नगर निगम, झांसी की परिसीमा के अन्तर्गत आने वाला वह क्षेत्र जो शासन की अधिसूचना अन्तर्गत मलेरिया, डेंगू, कालाजार या किसी संक्रामक रोग के प्रकोप के संकट, संक्रमित क्षेत्र महामारी अधिनियम संख्या 3 सन् 1897 तत्संबन्धित उत्तर प्रदेश मलेरिया, डेंगू, कालाजार एवं अन्य संक्रामक रोग से रोकथाम एवं नियन्त्रण विनियमावली, 2016 के अनुरूप संक्रमित क्षेत्र या आशंकाग्रस्त क्षेत्र उद्घोषित कर दिया गया हो।

3–प्रतिषेध–नगर निगम सीमान्तर्गत क्षेत्र में या क्षेत्र विशिष्ट या जिसे किसी संक्रमित क्षेत्र अथवा आशंकाग्रस्त क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा उद्घोषित किया गया हो, ऐसे क्षेत्र में नगर आयुक्त/नगर स्वास्थ्य अधिकारी–

(1) किसी भी पशु निवास, गली, दुकान, मोहल्ले, कालोनी, मलिन बस्ती और निम्नस्थ क्षेत्र आदि के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की छत युक्त संरचनाओं सहित सभी प्रकार के परिसर में कोई भी भवन सम्पत्ति स्वामी अथवा अध्यासी :

[अ] ऐसा कोई प्रवाहहीन या प्रवाहशील जलसंग्रह नहीं करेगा या अंगरक्षित नहीं करेगा जिसमें मच्छर पैदा होते हों या उनके पैदा होने की सम्भावना हो, अथवा

[ब] किसी प्रकार का जल संग्रह नहीं करेगा, न करने देगा और न होने देगा जब तक कि ऐसा जल-संग्रह मच्छरों के पैदा होने के सम्बन्ध में प्रभावी रूप से सुरक्षित न कर लिया हो।

[स] किसी नये भवन का निर्माण या निर्मित भवन का अध्यासन तब तक प्राप्त नहीं करेगा जब तक कि तत्सम्बन्धित भवन परिसर में मच्छर रोधी प्रणाली से सम्बन्धित आवश्यकतायें उपलब्ध न हों।

4–अभिज्ञापन–

किसी प्रवाहहीन या प्रवाहशील जल में लार्वा और प्यूपा का प्राकृतिक रूप में विद्यमान होना इस तथ्य का प्रगाण होगा कि सम्बन्धित भवन, परिसर, संस्था, कार्यालय या निवास से सम्बन्धित इकाईयों में विद्यमान ऐसे जल में पैदा हो रहे हैं।

5–मच्छरों का कीटनाशक से उपचार–

(1) नगर स्वास्थ्य अधिकारी सम्बन्धित क्षेत्रों में जिन रुके हुये या बहते हुये पानी के स्थानों में जहां मच्छर पनप रहे हों या पनपने की सम्भावना है उन सभी के स्वामियों, अध्यासी जनों को लिखित नोटिस द्वारा सूचित करके निर्दिष्ट समय में (24 घण्टे से कम नहीं) उन क्षेत्रों में भौतिक रसायन अथवा जैविक या किसी भी विधि से जिसे नगर स्वास्थ्य अधिकारी उचित समझता हो उन प्रजनन स्थलों की क्षेत्रों की उपचारिता करायेगा।

(2) सम्बन्धित क्षेत्र में स्थित भवन, परिसर, संस्था, कार्यालय या निवास से सम्बन्धित इकाईयों में जहां विद्यमान ऐसे जलों में लार्वा और प्यूपा सम्बन्धित भवन स्वामी या अध्यासी को नोटिस दिये जाने के बाद भी यदि किसी प्रकार का कोई उपचार नहीं किया जाता है तथा नोटिस का अनुपालन नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित भवन स्वामी/अध्यासी से नगर निगम द्वारा उस स्थल की उपचारिता करवाने में जो व्यय आयेगा वह व्यय सम्बन्धित भवन स्वामी/अध्यासी से नगर निगम सम्पत्ति कर की तरह वसूल किया जायेगा।

(3) उपविधि (1) के अधीन अधिभोगी, अध्यासी, किरायेदार को यदि नोटिस दिया जाता है और इसके विपरीत कोई कारनामा व्यक्त (एक्सप्रेस्ड) या व्यंजित (एम्प्लाइड) नहीं हुआ है तो भवन स्वामी से नोटिस में वर्णित उपायों पर खर्च की गयी राशि वह वसूल कर सकता है अथवा भवन/परिसर स्वामी को देय में से काट सकता है।

6–व्यतिक्रम अथवा चूक पर कार्यवाही–

उपविधि (5) के अन्तर्गत वह व्यक्ति जिसे नोटिस जारी किया गया है नोटिस में विहित उपचार निर्दिष्ट समय में न करने/उपचार करने से मना करने की दशा में नगर स्वास्थ्य अधिकारी उक्त उपाय करवा सकता है और तत्सम्बन्धित व्यय यथास्थिति भवन/परिसर स्वामी, किरायेदार अथवा अध्यासी से वसूल कर सकता है, मानों वह सम्पत्ति कर का बकाया हो।

7–मच्छररोधी संरचनाएँ (कीट-सुरक्षा)–

किसी भी भूमि या भवन में मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिये स्थानीय प्राधिकरण या शासन के निर्देश से अधिभोगी ने यदि कोई निर्माण कार्य करवाया है तो नगर आयुक्त उस भवन या भूमि का उपयोग किसी ऐसे काम के लिये रोक सकता है जो कि मच्छर रोधी इन संरचनाओं को क्षति पहुंचाये या कार्यकुशलता में गिरावट लाये।

8–मच्छर निवारण/नियंत्रण कार्य में दखलन्दाजी या हस्तक्षेप पर रोक–

नगर स्वास्थ्य अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्मित संरचना या सामग्री या वस्तु से जो उस स्थान पर या उस भवन में मच्छरों की उत्पत्ति रोकने के लिये नगर आयुक्त/नगर स्वास्थ्य अधिकारी के आदेश से बनी हो या रखी हो किसी भी प्रकार की छेड़-छाड़ नहीं करेगा न उसे बिगाड़ेगा, न नष्ट करेगा और न बेकार करेगा। यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस उपविधि का उल्लंघन किया जाता है तो नगर आयुक्त/नगर स्वास्थ्य अधिकारी फिर उस संरचना को बनवायेगा या उस सामग्री के स्थान पर नई सामग्री रखेगा और उसका खर्च उस व्यक्ति से वसूल करेगा मानों वह सम्पत्ति कर का बकाया हो।

9–मच्छरों के पात्र या बर्तन–

घर, भवन, शेड (सायबान) या जमीन का मालिक या किरायेदार वहां पर कोई बोतल, बर्तन, बाल्टी, डिब्बा या अन्य कोई पात्र, साबुत या टूटा हुआ, इस तरह से नहीं रखेगा कि उसमें पानी जमा होने की सम्भावना हो या पानी भरा रहे, जिससे उसमें मच्छर पैदा हों।

10– निर्माण कार्य जैसे सड़क निर्माण करने, रेलपथ बिछाने, घाट बनाने के समय जमीन में खोदे गये गड्ढे (बोरा पिट) इस प्रकार होंगे कि उनमें पानी न भरा रहे। जहां भी सम्भव और व्यवहार्य हो, इन गड्ढों के किनारों को साफ रखा जाये। एक प्रतिशत का अतिरिक्त खर्चा इस काम के लिए किया जाये। गड्ढों के तले में इस प्रकार ढाल और रूप दिया जाये कि नालियों से पानी एक गड्ढे से निकल कर दूसरे में चला जाये और आखिर में सबसे समीप के नाले में गिर जाये। कोई भी व्यक्ति अलग से कोई गड्ढे नहीं बनवायेगा जिसमें पानी जमा हो और मच्छर पैदा हों।

11– यदि मच्छरों की रोकथाम की किसी योजना को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवाद या मतभेद हो या इन उपबन्धों के अधीन कोई ऐसा निर्माण कार्य हो, जिसमें भारत सरकार तथा राज्य सरकार में मतभेद हो, तो इस मामले में भारत सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

12–स्वास्थ्य कर्मचारियों को भवन/परिसर में प्रवेश करने/निरीक्षण का अधिकार–

इस उपविधि के प्रवर्तन हेतु नगर स्वास्थ्य अधिकारी या सफाई निरीक्षक या कोई अन्य अधिकारी उचित समय पर लिखित नोटिस या सूचना देने के बाद विवेक सम्मत समय पर अपने क्षेत्राधिकार की किसी जमीन या भवन में प्रवेश कर सकेगा और इस हेतु भवन का यथास्थिति, मालिक या किरायेदार इस प्रवेश और निरीक्षण में अपना पूरा सहयोग देगा और वह सभी जानकारी देगा जिसकी मलेरिया नियंत्रण कार्य में जरूरत है।

13– शासन द्वारा इस सम्बन्ध में निर्गत निर्देश/अनुदेश/आदेश/व्यवस्थायें इन उपविधियों के अधीन अंश माने जावेंगे।

शास्ति

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 467 द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन झांसी नगर निगम एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि इस उपविधि के किसी भी प्राविधान के उल्लंघन पर रुपया 1,000.00 जुर्माना किया जा सकेगा और अपराध जारी रहने पर प्रथम अवहेलना की दोष सिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमें अवहेलना जारी रखी गयी हो जुर्माना, 100.00 रुपये तक हो सकता है।

प्रताप सिंह भदौरिया,
नगर आयुक्त,
झांसी नगर निगम, झांसी।